सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023 / 82(30 / 2023) दर्ज तिथिः–31.03.2023

1. हबताराम पुत्र नेथीराम
2. डायाराम पुत्र गंगदाराम
3. केसाराम पुत्र गंगदाराम
4. नरींगाराम पुत्र गंगदाराम
5. गोबााम पुत्र लुम्बाराम
6. खेताराम पुत्र रणछोड़ाराम
7. शंकराराम पुत्र पाताराम
8. गलाराम पुत्र पाताराम
9. हमीराराम पुत्र पाताराम
10. गैरोदेवी पत्नी पाताराम
11. कलाराम पुत्र रणछोड़ाराम
12. परखा पुत्र रणछोड़ा
13. रामींगा पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम
    13 / 1 पूनमाराम पुत्र रामींगाराम
14. भादाराम पुत्र हरजीराम फौत के कायम मुकाम
    14 / 1 किस्तुराराम पुत्र भादाराम के कायम मुकाम
    14 / 1 / 1 गमना पुत्र किस्तुरा
    14 / 2 तुलछा पुत्र भादा
15. आदाराम पुत्र बुधाराम
16. जैरूपाराम पुत्र बुधाराम
17. अगराराम पुत्र बुधाराम

निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।

.....वादीगण

बनाम

1. मनराराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
2. तिकमराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
3. पूनमाराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
4. केतुदेवी पत्नी प्रभाराम जाति कलबी
5. मालाराम पुत्र कपुरा जाति कलबी
6. अगरा पुत्र नरींगाराम जाति मेगवाल
7. अदरा पुत्र पाता जाति कलबी
8. अमरती पत्नी लिछमण जाति मेगवाल
9. कलयाणसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

10. किस्तुराराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
11. किस्तुराराम पुत्र अनाराम जाति कलबी निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामामालानी
12. कोंकू पुत्र करनाराम पत्नी छोगाजी कलबी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानीं
13. गेना पुत्र धुड़ा जाति कलबी
14. गोबा पुत्र करना जाति कलबी
15. गोवाराम पुत्र अनाराम जाति कलबी
16. छगन पुत्र माहिंगा जाति मेगवालल
17. छगना पुत्र हुकमा जाति मेगवाल
18. छोगाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल
19. जगदीश पुत्र लच्छाराम जाति कलबी
20. जुठाराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
21. जेठाराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
22. तेजाराम पुत्र नाथाराम जाति कलबी
23. तेजाराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
24. ताराराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
25. दलाराम पुत्र नरींगाराम जाति मेगवाल
26. दीपाराम पुत्र प्रागा जाति कलबी
27. धुंखाराम पुत्र मांहींगाराम जाति मेगवाल
28. नगाराम पुत्र नरींगाराम जाति कलबी
29. नाथाराम पुत्र अनाराम जाति कलबी
30. नारण पुत्र लिछमणा जाति मेगवाल
31. नारणराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
32. नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
33. पदमाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल
34. परबता पुत्र वरजोंगाराम जाति मेगवाल
35. प्रभु पुत्र उका जाति कलबी
36. पेलाद पुत्र नरींगा जाति मेगवाल
37. पाता पुत्र अजा जाति कलबी
38. पीरा पुत्र अजा जाति कलबी
39. बगाराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
40. बलवन्ता पुत्र लिछमणा जाति मेगवाल
41. बाबु पुत्र वरजोंगा जाति मेगवाल
    निवासीयान भोलागर नगर, लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।
42. बाबुराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी धोबली तालबानियो की ढाणी
43. भेराराम पुत्र शंकराराम जाति मेगवाल
44. भंवरीदेवी पत्नी लच्छाराम जाति कलबी
45. मनुदेवी पत्नी पाताराम जाति मेगवाल
46. मूली पत्नी उका जाति कलबी
47. मसरा पुत्र पातराम जाति कलबी
48. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
49. मेहराम पुत्र नरींगा जाति मेगवाल
50. माकु पत्नी नरींगा जाति मेगवाल
51. मानाराम पुत्र करमीराम जाति कलबी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

52. मालमसिंह पुत्र भीमसिंह जात राजपुत
53. मोडुराम पुत्र शंकरा जाति मेगवा
54. मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
55. लाधा पुत्र हुकमा जाति मेगवाल
56. विमला पुत्री लच्छाराम जाति कलबी
    नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 44 भंवरीदेवी
57. विशनाराम दत्तक पुत्र अणदा जाति मेगवाल
58. सुन्दर पत्नी शंकरा जाति मेगवाल
59. सागरकंवर पत्नी भीमसिंह जाति राजपुत
60. सांवलाराम पुत्र करनाराम जाति कलबी
61. सांवलाराम पुत्र करमीमराम जाति कलबी
62. सांवलाराम पुत्र वरजोंगा जाति मेगवाल
63. सांवलाराम पुत्र रावताराम जाति कलबी
64. हबताराम पुत्र अनाराम के कायम मुकाम
    64/1 दानाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/2 नरींगा पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/3 गगाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/4 आदाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/5 दलाराम पुत्र हबतारात जाति कलबी
65. हरीसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
66. केसाराम पुत्र खेताराम जाति कलबी
    निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

67. तहसीलदार गुड़ामालानी
68. उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66ः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी सं. 6 ता 11, 15 ता 20, 24, 25, 27, 29 ता 34, 37 ता 41, 43 ता 49, 52 ता 59, 61, 63 ता 65—श्री रामजीवन विश्नोई
शेष प्रतिवादीगण—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

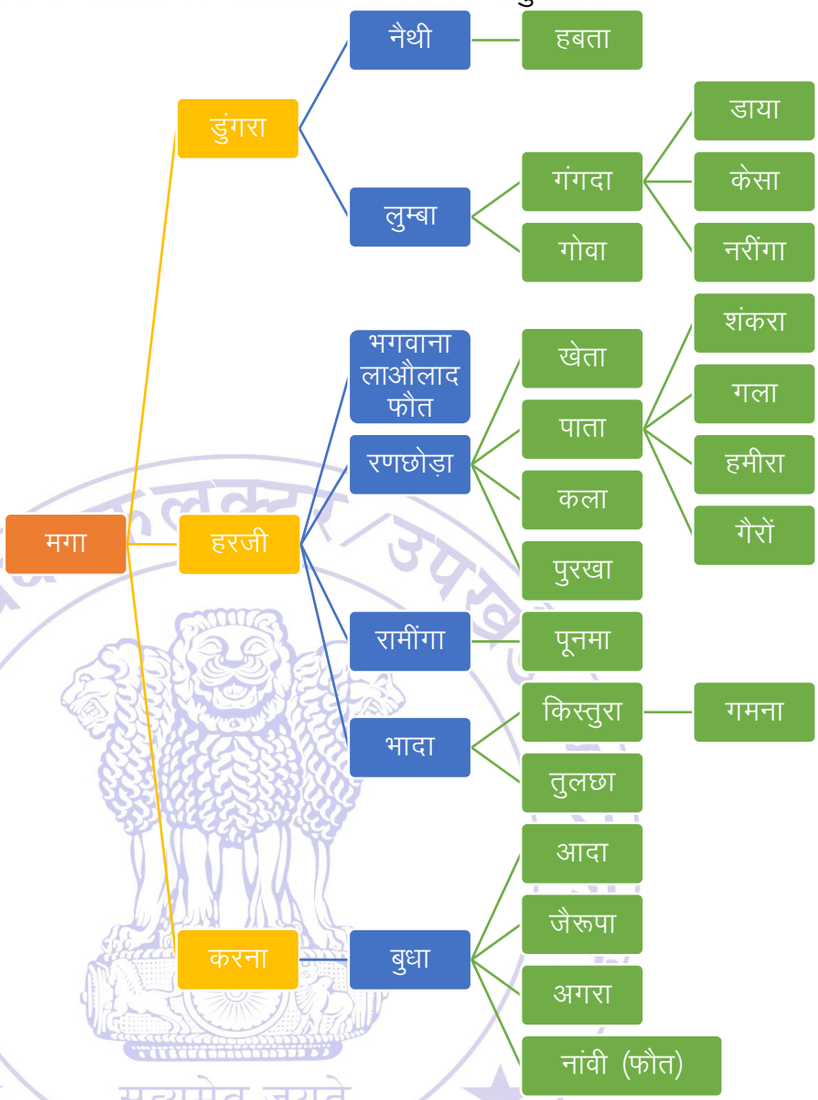

- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

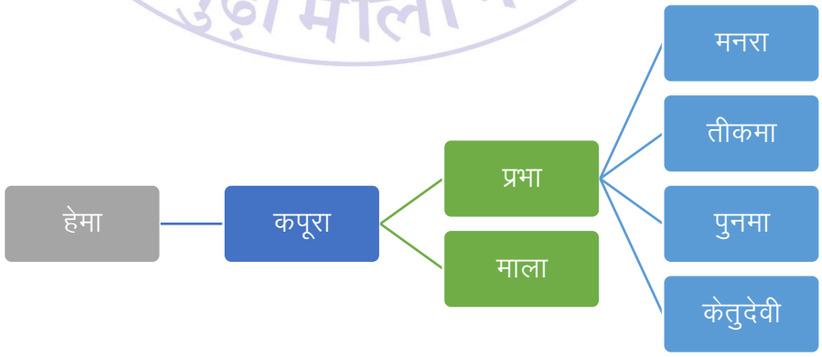

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।

- कि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 363 रकबा 49–12 बीघा व 364 रकबा 0–07 बीघा मौजा भोलागर वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरानम मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा शेष भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से अलग–अलग हिस्से अनुसार दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी करते हुए खसरा बंदोबस्त किया गया। इसी हिस्से अनुसार काश्तकार का कब्जा काश्त रहा है।
- कि प्रथम खतौनी बदोबस्त में वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित किया जाना था। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्वक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त खेतों में वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित किया जाना था। उक्त त्रुटि का वादीगण को तत्समय ज्ञान नहीं हो सकता। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हिस्सा 1/5–1/40 हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। जिसमें वादीगण के पूर्वजों व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में दखलअंदाजी नहीं की।
- कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को उक्त तकनीकी त्रुटि को सुधार हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने वादीगण को आश्वासन दिया। लेकिन उक्त तकनीकी त्रुटि का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 05 माला पुत्र कपुरा ने 1/80 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 42 बाबुराम व प्रतिवादी संख्या 66 केसाराम को कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा लेते हुए आराजी का ओर बेचान करने पर आमदा है।
- कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त होने एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/40 हिस्से पर कब्जा काश्त होने के आधार पर कब्जे काश्त अनुसार हिस्सा घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 66 व 42 को अपने 1/80 हिस्से से अधिक निष्पादित बेचान को वादीगण के हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का संयुक्त रूप से 1/40 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड पर गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 05 वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बेदखल करने पर उतारू है एवं बेचान की धमकिया दी जा रही है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वर्तमान में भूमि की किमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 84 की नियत में फर्क आ जाने के कारण वादीगण को पैतृक हिस्से से महरूम एवं बेदखल किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 84

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि का अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66 एवं 6 ता 11, 15 ता 20, 24, 25, 27, 29 ता 34, 37 ता 41, 43 ता 49, 52 ता 59, 61, 63 ता 65 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अनुपस्थिति प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66 ने वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन किया:–

- कि वादग्रस्त आराजी में में एक पुराना सामलाती वक्त सेटलमेंट पूर्व का पानी का बेरा खसरा संख्या 363 रकबा 0.0567 है0 है जो खसरा बंदोबस्त में मु0 सीरे कंवर बाई खसरा सख्या 1 से सभी वादीगण एवं प्रतिवादी का सामलाती खसरा है। जिस पर वर्तमान में भी सभी का हक व हिस्सा है।
- कि खसरा संख्या 364 रकबा 6.1188 है0 खसरा संख्या 364/1 रकबा 1.7968 है0, खसरा संख्या 364/2 रकबा 0.1133 है0 मौजा भोलागर नगर की प्रथम खतौनी बंदोबस्त के समय खसरा संख्या 364 मूल जाव वाला व गुदेलिया केवल हदा वगैरा के परिवार का है जो स्पष्ट अंकित है। खसरा संख्या 364 रकबा 6.1188 है0, 364/1 रकबा 1.7968 है0, 364/2 रकबा 0.1133 गैर मु0 रास्ता मौजा भोलागर नगर अभी दर्ज होकर नवीन खसरे सृजित हुए है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का वहामी तौर पर बंटवारा वक्त सेटलमेंट से हो रखा है।
- कि प्रतिवादीगण के परिवार जिसमे पूर्व पुरूष हरा, चांपा, करना पिसरान खीदा का 3/40 हिस्सा एवं हरा वल्द राजा का 3/20 हिस्सा होकर वर्तमान में इनके वारिसान इसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है तथा बाड़मेर व गुड़ामालानी के राजस्व रेकर्ड की प्रतियों में अन्तर भी है।
- कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उल्लेखित किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 ये 04 का संयुक्त 4/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 35 का 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 42 जरिये रजि0 क्रेता का 267/44880 हि0, प्रतिवादी संख्या 51 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 60 का 1/60 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 66 का 1/40 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे प्रतवादीगण मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने के अधिकारी है।
- प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66 के कब्जे काश्त में वादीगण किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने एवं ना ही किसी से अन्य से करवाए जाने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा अपने 1/80 हिस्से से अधिक आराजी के प्रतिवादी संख्या 42 व 46 किए गए बेचान को वादीगण के हिस्से तक आरंभ से शून्य अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

4. आया मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण हाल जमाबंदी दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंडस विभाजन करवाने के अधिकारी है।

.....प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादी मुतनाजा आराजी पर खाता विभाजन पश्चात वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....प्रतिवादीगण

6. अन्य दादरसी

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
पर्चा लगान	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—01
खसरा बंदोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—02
खतौनी बन्दोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—03
जमाबंदी	ग्राम भोलागर नगर खाता संख्या 40	प्रदर्शपी—04
रजिस्ट्री	दिनांक 08.02.2023 उपपंजीयक गुड़ामालानी	प्रदर्शपी—05

5. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पुनमाराम पुत्र रामींगाराम	कलबी	भोलागर नगर	पी0डब्ल्यू0—1
अगराराम पुत्र बुधाराम	कलबी	भोलागर नगर	पी0डब्ल्यू0—2
केशाराम पुत्र गंगदाजी	कलबी	भोलागर नगर	पी0डब्ल्यू0—3

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में पुनमाराम पुत्र रामींगाराम पी.डब्ल्यू.–01, अगराराम पुत्र बुधाराम पी0डब्ल्यू0–2, केशाराम पुत्र गंगदाजी पी0डब्ल्यू0–3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
- कि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 363 रकबा 49–12 बीघा व 364 रकबा 0–07 बीघा मौजा भोलागर वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरानम मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा शेष भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से अलग–अलग हिस्से अनुसार दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी करते हुए खसरा बंदोबस्त किया गया। इसी हिस्से अनुसार काश्तकार का कब्जा काश्त रहा है।
- कि प्रथम खतौनी बदोबस्त में वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित किया जाना था। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्वक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त खेतों में वादीगण के पूर्वज डुंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वज कपुरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित किया जाना था। उक्त त्रुटि का वादीगण को तत्समय ज्ञान नहीं हो सकता। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हिस्सा 1/5–1/40 हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। जिसमें वादीगण के पूर्वजों व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में दखलअंदाजी नहीं की।
- कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को उक्त तकनीकी त्रुटि को सुधार हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने वादीगण को आश्वासन दिया। लेकिन उक्त तकनीकी त्रुटि का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 05 माला पुत्र कपुरा ने 1/80 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 42 बाबुराम व प्रतिवादी संख्या 66 केसाराम को कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा लेते हुए आराजी का ओर बेचान करने पर आमदा है।
- कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त होने एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/40 हिस्से पर कब्जा काश्त होने के आधार पर कब्जे काश्त अनुसार हिस्सा घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 66 व 42 को अपने 1/80 हिस्से से अधिक निष्पादित बेचान को वादीगण के हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का संयुक्त रूप से 1/40 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड पर गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 05 वादीगण को कब्जे काश्त से जबरन बेदखल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

करने पर उतारू है एवं बेचान की धमकिया दी जा रही है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वर्तमान में भूमि की किमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 84 की नियत में फर्क आ जाने के कारण वादीगण को पैतृक हिस्से से महरूम एवं बेदखल किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 84 वादग्रस्त भूमि का अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

- इसके समर्थन में पैरा संख्या 4 में उल्लेखित दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करवाए गए।

7. प्रकरण में पुनमाराम पुत्र रामींगाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह बात सही है कि विवादित जमीन भोलागर नगर में आई हुई है। मैं 3–4 कक्षा तक पढ़ा लिखा हुआ हुं। शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा और मैने हस्ताक्षर है। मेरे 3–4 जगह मेरे हस्ताक्षर है। इस शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विवादग्रस्त खेत का खसरा संख्या 363 व 364 है कुछ अन्य खसरे भी हो सकते है। इस खसरे में लगभग 50 बीघा जमीन है। तीन खसरे है और तीनों खसरों में मेरा नाम है। दावे में कितने दस्तावेज लगाए है मुझे जानकारी नहीं है। दावें में जमाबंदी व दावा लगाया है। वक्त सेटलमेंट में पहला दस्तावेज कोनसा बना मुझे जानकारी है। प्रथम कागज क्या बना मुझे जानकारी नहीं है। मैने दावे के अंदर हमारे वालिदान डुगरा, करना, हरजी पिसरान मगा एवं कपूरा वल्द हेमा के वारिसान का अलग–अलग वंश वृक्ष दर्शाया है। हम वादीगण के वालिदान(पूर्वपुरूष) डुंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का वादग्रस्त खेतो में 1/5 हिस्सा चला आ रहा है। प्रदर्श 3 भू–प्रबंध सेटलमेंट प्रथम खतौनी में कपूरा वल्द हेमा ए से बी जो मगा के वारिसान के साथ दर्ज है। सामलाती 1/5 हिस्सा है। माला पुत्र कपूरा को मैं जानता नहीं हूं। खाते में नाम साथ में है। माला पुत्र कपूरा का वर्तमान जमाबंदी में 1/20 हिस्सा दर्ज है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। माला ने अपने खेत की रजिस्ट्री सही नहीं करवाकर गलत करवाई है। इस जमीन का हमने 40 साल से जोता नहीं है। किसी ने भी जुताई नहीं की है। आज दिन तक हमने उक्त खाते की नकल नही ली है। अज खुद ने कहा कि जमीन विक्रय हुई तब नकल ली। हेमा फौत होने पर कपूरा जिसके दो पुत्र है प्रभा व माला। कपूरा के दो पुत्रों का हिस्सा बराबर है। उक्त दावे में कुल कितने पक्षकार है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लाला, माहिंगा, नरींगा पिसरान डोबरा व अणदा, हुकमा, लिछमणा पुत्र देवा इन सभी का 1/5 वां हिस्सा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

8. प्रकरण में अगराराम पुत्र बुधाराम पी0डब्ल्यू0–2 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह जमीन भोलागर नगर लूणवा जागीर में आई हुई है। इसके खेत खसरा संख्या 363, 364 है, कुल रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा आया हुआ है। हम करनाणि परिवार से हैं। खेत को हम गुंदलिया नाम से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

पुकारते हैं। डुंगरा, हरजी, करना, पिता मगा के नाम पर्चा बना। हमारे साथ में अन्य परिवार सायबानी परिवार मेघवालों का परिवार भी है, जिसका संयुक्त खातेदारी का खेत है। मैं पांचवी कक्षा तक पढा लिखा हूं। मैनें 1–2 माह पूर्व हमने इस खेत की नकलें ली। यह दावा किए 2 साल हो गए। मुझे याद नहीं है कि यह एफिडेविट वकील साहब ने तैयार किया जो हमारे कहे अनुसार किया। इस खेत में सेटलमेंट के समय एक पुराना बेरा था। बेरा वाले खेत मे हम सभी खातेदार थे। एक अन्य खसरा है जिसमें हदा वगैरहा लिखा हुआ है। कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा था। हमारे परिवार का 5वां हिस्सा है, जिसमें डुंगरा, हरजी, करना पिता मगा है। वादग्रस्त खेत को अभी कोई नहीं जोतता है, पहले इसमें जुताई होती थी । इसमें किसी का घर बना हुआ नहीं है, ना ही किसी का बंटवार किया हुआ है, सामलाति पढा हुआ है। हेमा के कपूरा एक ही बेटा था। ये हमारे परिवार के नहीं है लेकिन जाति हमारी एक ही है। यह कहना गलत है कि मै आज झूठा बयान दे रहा हूं।

9. प्रकरण में केशाराम पुत्र गंगदाजी पी0डब्ल्यू0–3 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह जमीन भोलागर नगर लूणवा जागीर में आई हुई है। इसके खेत खसरा संख्या 363, 364 है, कुल रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा आया हुआ है। हम करनाणि परिवार से हैं। खेत को हम गुंदलिया नाम से पुकारते हैं। ये खेत हमारे घर से 3 किमी0 दूर है। पहले हम इसकी जुताई करते थे , अब नही करते है। डुंगरा, हरजी, करना, पिता मगा के नाम पर्चा बना। हमारे साथ में अन्य परिवार सायबानी परिवार मेघवालों का परिवार भी है, जिसका संयुक्त खातेदारी का खेत है। मैं पांचवी कक्षा तक पढा लिखा हूं। मैनें 1–2 माह पूर्व हमने इस खेत की नकलें ली। यह दावा किए 2 साल हो गए। मुझे याद नहीं है कि यह एफिडेविट वकील साहब ने तैयार किया जो हमारे कहे अनुसार किया। इस खेत में सेटलमेंट के समय एक पुराना बेरा था। बेरा वाले खेत मे हम सभी खातेदार थे। एक अन्य खसरा है जिसमें हदा वगैरहा लिखा हुआ है। कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा था। हमारे परिवार का 5वां हिस्सा है, जिसमें डुंगरा, हरजी, करना पिता मगा है। वादग्रस्त खेत को अभी कोई नहीं जोतता है, पहले इसमें जुताई होती थी । इसमें किसी का घर बना हुआ नहीं है, ना ही किसी का बंटवार किया हुआ है, सामलाति पढा हुआ है। हेमा के कपूरा एक ही बेटा था। ये हमारे परिवार के नहीं है लेकिन जाति हमारी एक ही है। यह कहना गलत है कि मै आज झूठा बयान दे रहा हूं।

10. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

11. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66 द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
मनराराम पुत्र प्रभाराम	कलबी	लूणवा जागीर	डी0डब्ल्यू0–01
गेनाराम पुत्र धूड़ाराम	कलबी	लूणवा जागीर	डी0डब्ल्यू0–02
हकमाराम पुत्र सुराराम	कलबी	लूणवा जागीर	डी0डब्ल्यू0–03

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में मनराराम पुत्र प्रभाराम डी0डब्ल्यू0–01, मनराराम पुत्र प्रभाराम डी0डब्ल्यू0–2, हकमाराम पुत्र सुराराम डी0 डब्ल्यू–03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादग्रस्त आराजी में में एक पुराना सामलाती वक्त सेटलमेंट पूर्व का पानी का बेरा खसरा संख्या 363 रकबा 0.0567 है0 है जो खसरा बंदोबस्त में मु0 सीरे कंवर बाई खसरा सख्या 1 से सभी वादीगण एवं प्रतिवादी का सामलाती खसरा है। जिस पर वर्तमान में भी सभी का हक व हिस्सा है।
- कि खसरा संख्या 364 रकबा 6.1188 है0 खसरा संख्या 364/1 रकबा 1.7968 है0, खसरा संख्या 364/2 रकबा 0.1133 है0 मौजा भोलागर नगर की प्रथम खतौनी बंदोबस्त के समय खसरा संख्या 364 मूल जाव वाला व गुदेलिया केवल हदा वगैरा के परिवार का है जो स्पष्ट अंकित है। खसरा संख्या 364 रकबा 6.1188 है0, 364/1 रकबा 1.7968 है0, 364/2 रकबा 0.1133 गैर मु0 रास्ता मौजा भोलागर नगर अभी दर्ज होकर नवीन खसरे सृजित हुए है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का वहामी तौर पर बंटवारा वक्त सेटलमेंट से हो रखा है।
- कि प्रतिवादीगण के परिवार जिसमे पूर्व पुरूष हरा, चांपा, करना पिसरान खीदा का 3/40 हिस्सा एवं हरा वल्द राजा का 3/20 हिस्सा होकर वर्तमान में इनके वारिसान इसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है तथा बाड़मेर व गुड़ामालानी के राजस्व रेकर्ड की प्रतियों में अन्तर भी है।
- कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उल्लेखित किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 ये 04 का संयुक्त 4/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 35 का 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 42 जरिये रजि0 क्रेता का 267/44880 हि0, प्रतिवादी संख्या 51 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 60 का 1/60 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 66 का 1/40 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे प्रतवादीगण मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने के अधिकारी है।
- प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66 के कब्जे काश्त में वादीगण किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने एवं ना ही किसी से अन्य से करवाए जाने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

13. प्रकरण में मनराराम पुत्र प्रभाराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि मेरे पिताजी का प्रभाराम है। यह कहना सही है कि प्रभाराम के पिताजी का नाम कपूरा है तथा कपूरा के पिता का नाम हेमा है। यह कहना सही है कि कपूरा के दो लड़के थे प्रभा तथा माला। माला अभी जीवित है। अज खुद कहा कि दौ पेरो से विकलांग है। यह बात सही है कि मगा के तीन लड़को डूगरा, हरजी तथा करना थे जिनका परिवार कपूरा पुत्र हेमा के परिवार से अलग अलग थे। हेमा तथा मगा के पिता के अलग अलग नही है एक ही है। उनके पिता के नाम मुझे याद नहीं है। खसरा संख्या 363 व खसरा संख्या 364 एव खसरा संख्या 364/1, 364/2 कितने कितने बीघों का है। मुझे याद नहीं है। सभी का रकबा 50 बीघा है। यह बात सही है कि बेरा खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

364 के अंदर ही बना हुआ है। अलग से नक्शा बना हुआ नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 13, 21, 23, 35, 42, 51, 60, 66 के नाम क्या है। मुझे याद नहीं है। अज खुद कहा कि सभी हिस्सेदार है। 10 वां हिस्सा है। यह कहना सही है कि प्रत्येक प्रतिवादीगण का अलग अलग कितना हिस्सा है मुझे जानकारी नहीं है। अज खुद कहा कि प्रत्येक को 5–5 बीघा जमीन आती है। यह वादग्रस्त खेत भूप्रबंध के समय अलग अलग किसके नाम नपा एवं कितना कितना हिस्सा था मुझे पता नहीं है। अज खुद कहा कि कुल 10 हिस्से थे। यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी में राजपूत, कलबी, मेघवाल (भांभी) खातेदार काबिज है। राजपूत का 1 हिस्सा, मेघवालों का 2 हिस्सा, 3 हिस्सा राजोणी परिवार के है। राजोणी परिवार में प्रभू वगैरा सभी आते है। 1 हिस्सा गेना वल्द धूड़ा का था, 1 हिस्सा सांवला, गोवा पिसरान करना का है, 1 हिस्सा प्रभा वगैरा का है, 1 हिस्सा पूनमा वगैरा का है। यह बात सही है कि वादग्रस्त खेतान का मौके का किसी प्रकार से विभाजन किया हुआ नही है। सामलाती कब्जा काश्त है। सेटलमेंट के समय कपूरा वल्द हेमा का अलग से हिस्सा 1/40 लिखा हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जो उपर हिस्सा बताया है उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण पेश नही किया है। बड़े बुजुर्गों हमारे पूर्वजों के कहे अनुसार शपथ पत्र में हिस्से लिखवाए है। प्रतिवादी संख्या 42 कौन है मुझे जानकारी नहीं है। माला वल्द कपूरा मेरा काका लगता है। यह कहना सही है कि माला वल्द कपूरा का वाद ग्रस्त खेत में 1/80 हिस्सा बनता है। माला वल्द कपूरा ने अपने हिस्से से अधिक जमीन का बेचान किया हो तो मुझे जानकारी नही है। अज खुद कहा कि 2.10 बीघा जमीन का बेचान किया। यह बेचान किस तारीख को किया है मुझे जानकारी नहीं है। माला वल्द कपूरा का हिस्सा जिस प्रतिवादी को बेचान किया है इस संबंध में वकील साहब ने लिखवाया था। वादग्रस्त जमीन लूणवा गांव की आबादी के पास ही आई हुई है जिसका राजस्व गांव भोलागर नगर है। यह कहना गलत है कि वादीगण के वालीदान डूंगरा, हरजी, करना पिता मगा का सेटलमेंट के समय वादग्रस्त खेत में 1/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हुआ हो। अज खुद कहा कि 1/10 हिस्सा था। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त खेतों में वादीगण डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के वारिसान का 1/5 हिस्सा पर कब्जा काश्त हो। प्रतिवादीगण जिनकी संख्या मैंने शपथ पत्र में लिखी है जिसके क्रमवार मुझे ध्यान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 13, 21, 23, 35, 42, 51, 60, 66 के नाम क्या है। मुझे याद नहीं है। 2 हिस्से मेघवाल परिवार के, 1 हिस्सा राजपुत सरदारों का, 1 हिस्सा डूगरा, हरजी, करना का, 1 हिस्सा कपूरा वगैरा, 1 हिस्सा हरा, करना, चौपा, 1 हिस्सा धूड़ा, लाधा का, 1 हिस्सा हदा पुत्र राजा, 2 हिस्सा सवा, राजा का है। यह कहना सही है कि मैं कपूरा पुत्र हेमा के परिवार से नहीं हूं। अज खुद कहा कि हमारे भाई है। मैं, डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के वारिसान में से नहीं हू। डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के द्वारा पेश किया गया दावा के नोटिस मिले या नहीं मिले मुझे जानकारी नहीं है। वादग्रस्त खेत का पूर्व में कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। सामलाती ही पड़ा है। कपूरा वल्द हेमा के पिता का नाम खीदा था। यह बात सही है कि हेमा के सगे भाई हरा, चांपा, करना (हता) थे। सेटलमेंट के समय मैंने पूर्व में 10 बंट (हिस्से) लिखवाए थे। उसी अनुसार दर्ज हुआ। यह कहना सही है कि वादग्रस्त खेत लूणवा जागीर में आए हुए है। यह बात सही है कि वादग्रस्त खेत में ही गैर मुमकीन बेरा था अलग से नक्शा बना हुआ नहीं था। यह कहना सही है कि साक्ष्य स्वरूप तैयार किया शपथ पत्र वकील साहब ने ही लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट के समय डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

लिखा गया है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त खेतान में 1/5 हिस्सा पर कब्जा काश्त का हो।

14. प्रकरण में मनराराम पुत्र प्रभाराम डी0डब्ल्यू0–2 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि यह बात सही है कि बयान देने हेतु शपथ पत्र पेश किया है जो वकील साहब ने लिखवाया था। मैं बिलकुल अनपढ़ व्यक्ति हूं। हबता वगैरा व मनरा वगैरा के बीच में दावा चल रहा है जिसमें मैं भी पक्षकार हूं। वादग्रस्त खेतों के खसरा संख्या मुझे जानकारी नही है तथा कितना बीघा जमीन आई हुई है। मुझे जानकारी नहीं है। अज खुद कहा कि हमारे साथ में 10 हिस्से (सिर) है। यह बात सही है कि कपूरा के पिता का नाम हेमा था। डूगरा, हरजी, करना के पिता का नाम मगा था। कपूरा जो हेमा के गोद लाया हुआ था। हेमाराम के पिता का नाम खीदा था, मगा के पिता का नाम मुझे याद नहीं है। हेमा के पिता खीदा तथा मगा के पिता जिसका नाम मुझे याद नहीं है। सगे भाई नहीं थे। काकाई भाई थे। कपूरा वल्द हेमा तथा डूंगरा, हरजी व करना पिसरान मगा के परिवार सेटलमेंट के समय अलग अलग रहते थे। अज खुद कहा कि संयुक्त खातेदारी के थे, एक ही साजवान के थे और अलग अलग ढाणिया थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 13, 21, 23, 35, 42, 51, 60, 66 के नाम क्या है। मुझे याद नहीं है। 2 हिस्से मेघवाल परिवार के, 1 हिस्सा राजपुत सरदारों का, 1 हिस्सा डूगरा, हरजी, करना का, 1 हिस्सा कपूरा वगैरा, 1 हिस्सा हरा, करना, चौपा, 1 हिस्सा धूड़ा, लाधा का, 1 हिस्सा हदा पुत्र राजा, 2 हिस्सा सवा, राजा का है। यह कहना सही है कि मैं कपूरा पुत्र हेमा के परिवार से नहीं हूं। अज खुद कहा कि हमारे भाई है। मैं, डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के वारिसान में से नहीं हू। डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के द्वारा पेश किया गया दावा के नोटिस मिले या नहीं मिले मुझे जानकारी नहीं है। वादग्रस्त खेत का पूर्व में कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। सामलाती ही पड़ा है। कपूरा वल्द हेमा के पिता का नाम खीदा था। यह बात सही है कि हेमा के सगे भाई हरा, चांपा, करना (हता) थे। सेटलमेंट के समय मैंने पूर्व में 10 बंट (हिस्से) लिखवाए थे। उसी अनुसार दर्ज हुआ। यह कहना सही है कि वादग्रस्त खेत लूणवा जागीर में आए हुए है। यह बात सही है कि वादग्रस्त खेत में ही गैर मुमकीन बेरा था अलग से नक्शा बना हुआ नहीं था। यह कहना सही है कि साक्ष्य स्वरूप तैयार किया शपथ पत्र वकील साहब ने ही लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट के समय डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा लिखा गया है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त खेतान में 1/5 हिस्सा पर कब्जा काश्त का हो।

15. प्रकरण में हकमाराम पुत्र सुराराम डी0 डब्ल्यू–03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह बात सही है कि मैं वादग्रस्त खेतान का खातेदार नहीं हूं। शपथ पिछले सोमवार को लिखवाकर अंगुठे निशान किए थे। यह बात सही है कि शपथ पत्र वकील साहब लिखवाकर लाए थे। अंगुठे निशान करवाए। अज खुद कहा कि मैंने बोला वैसा ही लिखवाया। वादग्रस्त खेतों के खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। जिसका रकबा 50 बीघा है। वादग्रस्त खेतों में 10 हिस्से है। यह कहना सही है कि कपूरा के दो लड़के प्रभा व माला थे। प्रभा फौत हो गया व माला जीवित है। कपूरा के पिता का नाम हेमा था। यह बात सही है कि दावा करने वाले हबता वगैरा डूगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान/उतराधिकारी है। कपूरा के दादा का नाम मुझे जानकारी नहीं है। मेरे खेत के खसरा संख्या व रकबा मुझे याद नहीं है। वादग्रस्त खेत के लंकाउ मेरे खेत की खातेदारी है। यह बात सही है कि वादग्रस्त खेतों में प्रतिवादीगण का कितना कितना हिस्सा हैं मुझे जानकारी नहीं है। सेटलमेंट के समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। सेटलमेंट के समय वादग्रस्त खेतों में डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा (वादीगण के वालिदान) का 1/5 हिस्सा लिखा हुआ हो तो मैंने सुना नहीं। यह कहना गलत है कि मगा के वारिसान डूंगरा, हरजी, करना का 1/5 हिस्सा हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी सामलाती है। मेरे दादी हमेशा कहती थी कि उक्त आराजी में हमारा 1/10 हिस्सा आता है। मेरी दादी का नाम मुझे पता नहीं है। दादी के पति का नाम हेमा था, हेमा के पिता का नाम मुझे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि आज मुझे मनरा बयान दिलवाने के लिए लाया है।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया।

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैः—

    1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

18. प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का मुतनाजा आराजी में 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01—05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा निहित रहा है। जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 01—05 के पूर्वज का बराबर हिस्सा निहित रहा है।

19. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

20. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

> The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-
>
> > "Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
> >
> > When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."
>
> In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....
>
> Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.
>
> xxx
>
> There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.
>
> In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :
>
> > "29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:
> >
> > burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

21. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

22. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

23. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का मुतनाजा आराजी में 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा निहित रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को अपने तथ्य को साबित करना नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

24. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श–01 पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का मुतनाजा आराजी में 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित है। वादी द्वारा प्रदर्श–02 खसरा बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का मुतनाजा आराजी में 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित है। वादी द्वारा प्रदर्श–03 खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा अंकित है। उक्त प्रदर्श–1, 2 व 3 राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 के राजकीय दस्तावेज होने के कारण उक्त दस्तावेज का साक्ष्य में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

25. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादी के द्वारा तीन गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रथम गवाह पुनमाराम पुत्र रामींगाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी सामलाती आराजी है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। गवाह का अभिकथन है कि उक्त आराजी में वादीगण का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01–05 का 1/40 हिस्सा निहित है। उक्त गवाह का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रकरण में द्वितीय गवाह अगरा पुत्र बुधाराम व तृतीय गवाह केसाराम पुत्र गंगदाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त गवाह ने भी समान परीक्षण किया है। उक्त गवाह का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रकरण में वादी द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है।

26. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा तीन गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रथम गवाह मनराराम पुत्र प्रभाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी सामलाती आराजी है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। गवाह का अभिकथन है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01–05 का दसवां हिस्सा निहित है। प्रकरण में द्वितीय गवाह गेनाराम पुत्र धूड़ाराम व तृतीय गवाह हकमा पुत्र सुराराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त गवाह ने भी समान परीक्षण किया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है।

27. प्रकरण में प्रदर्शपी 01 पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 तथा प्रदर्शपी–02 खसरा बंदोबस्त के अवलोकन से ज्ञात है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित है। परंतु प्रदर्शपी–03 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का संयुक्त रूप से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

1/5 हिस्सा अंकित है। उक्त प्रदर्शपी 01 पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 तथा प्रदर्शपी–02 खसरा बंदोबस्त के अनुसार ही खतौनी बदोबस्त तैयार किया जाना अपेक्षित था। यहां उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान पहले खसरा बंदोबस्त को तैयार करने के दौरान संबंधित काश्तकार का मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार रकबा निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात खसरा बंदोबस्त के आधार पर आपत्ति लेते हुए पर्चा लगान जारी किया जाता है। तत्पश्चात काश्तकार का पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त के आधार पर बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त के आधार पर ही खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इस आधार पर वादीगण के पूर्वज हरजी, डूंगरा व करना पिसरान मगा का पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त में 1/5 हिस्सा तथा कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा अंकित किया गया था। इसी हिस्सा अनुसार बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाना अपेक्षित था। प्रतिवादी संख्या 01–05 वादी व प्रतिवादी के उक्त पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त में अंकित हिस्से को बंदोबस्त प्रक्रिया के समय दुरूस्त करवाने या चुनौती देने के किसी प्रकार के दस्तावेज व साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इसके साथ ही वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी पर है कि वह मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

28. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 01–05 वादी व प्रतिवादी के उक्त पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त में अंकित हिस्से को बंदोबस्त प्रक्रिया के समय दुरूस्त करवाने या चुनौती देने के किसी प्रकार के दस्तावेज व साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहे है। साथ ही प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

29. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा होने के तथ्य को साबित करता है। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1, 2 पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त एक सार्वजनिक/राजकीय दस्तावेज होने के कारण मजबूत साक्ष्य प्रतीत होता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा होने के तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन (Onus of Proof) का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहा है। इस प्रकार वादीगण का मुतनाजा आराजी में वादीगण के पूर्वज डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01–05 के पूर्वज कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

30. इस संबंध में तनकी संख्या 02 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः–

> 2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा अपने 1/80 हिस्से से अधिक आराजी के प्रतिवादी संख्या 42 व 46 किए गए बेचान को वादीगण के हिस्से तक आरंभ से शून्य अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
>
> .....*वादीगण*

31. प्रकरण में तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी के उपर है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1–5 का संयुक्त रूप से 1/40 हिस्सा निहित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1–5 हिस्सा गलत दर्ज रहा है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1–5 के राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हिस्से के आधार पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा बेचान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के आधार पर बेचान किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 05 का पंजीबद्ध बयनामा व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सा अनुसार मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकार निहित ही नहीं रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा मुतनाजा आराजी में निहित हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 05 को मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने का अधिकार ही नहीं रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा किया गया मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान आरंभ से ही शुन्य व निष्प्रभावी प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी अपने तथ्य को साबित (Burden of

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

Proof) करने में सफल रहे है जबकि प्रतिवादी इसके खण्डन में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

32. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 व 05 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 व 05 निम्न प्रकार हैः—

3. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

5. आया प्रतिवादी मुतनाजा आराजी पर खाता विभाजन पश्चात वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....प्रतिवादीगण

33. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 व 05 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

34. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

	आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

35. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण का तनकी संख्या 01 स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 03 व प्रतिवादीगण तनकी संख्या 05 को साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार उक्त तनकीयात उभय पक्षकारान के विरूद्ध फैसल की जाती है।

36. इस संबंध में तनकी संख्या 04 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः–

> 4. आया मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण हाल जमाबंदी दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंडस विभाजन करवाने के अधिकारी है।
> .....प्रतिवादीगण

37. प्रकरण में तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। उक्त तनकी के तहत प्रतिवादी द्वारा हाल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादी के पक्ष में स्वीकार होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से संशोधित होना अपेक्षित है। इस आधार पर संशोधन योग्य हिस्से के विपरीत हाल राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से के आधार पर विभाजन प्राप्त करने का अधिकार प्रतिवादीगण को निहित नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने तथ्य को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

38. निष्कर्षतः प्रकरण में वादीगण को मुतनाजा आराजी पर पूर्व से ही निहित 1/5 हिस्से का खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वादीगण के उक्त अधिकारों की घोषणा के पश्चात मुतनाजा आराजी पर वादीगण का हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का हिस्सा 1/40 के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान आरंभ से ही शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक इस कदर मंजूर किया जाता है कि मौजा भोलागर नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित मुतनाजा आराजी में वादीगण के 1/5 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीगण के उक्त अधिकारों की घोषणा के पश्चात वादीगण का हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का हिस्सा 1/40 के अनुरूप मुतनाजा आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का किया गया बेचान अपने पुनर्निधारित हिस्से की हद से अधिक आराजी का बेचान आरंभ से ही शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/82(30/2023) दर्ज तिथिः–31.03.2023

1. हबताराम पुत्र नेथीराम
2. डायाराम पुत्र गंगदाराम
3. केसाराम पुत्र गंगदाराम
4. नरींगाराम पुत्र गंगदाराम
5. गोबााम पुत्र लुम्बाराम
6. खेताराम पुत्र रणछोड़ाराम
7. शंकराराम पुत्र पाताराम
8. गलाराम पुत्र पाताराम
9. हमीराराम पुत्र पाताराम
10. गैरोदेवी पत्नी पाताराम
11. कलाराम पुत्र रणछोड़ाराम
12. परखा पुत्र रणछोड़ा
13. रामींगा पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम
    13/1 पूनमाराम पुत्र रामींगाराम
14. भादाराम पुत्र हरजीराम फौत के कायम मुकाम
    14/1 किस्तुराराम पुत्र भादाराम के कायम मुकाम
    14/1/1 गमना पुत्र किस्तुरा
    14/2 तुलछा पुत्र भादा
15. आदाराम पुत्र बुधाराम
16. जैरूपाराम पुत्र बुधाराम
17. अगराराम पुत्र बुधाराम

निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।

.....वादीगण

बनाम

1. मनराराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
2. तिकमराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
3. पूनमाराम पुत्र प्रभाराम जाति कलबी
4. केतुदेवी पत्नी प्रभाराम जाति कलबी
5. मालाराम पुत्र कपुरा जाति कलबी
6. अगरा पुत्र नरींगाराम जाति मेगवाल
7. अदरा पुत्र पाता जाति कलबी
8. अमरती पत्नी लिछमण जाति मेगवाल
9. कलयाणसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

10. किस्तुराराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
11. किस्तुराराम पुत्र अनाराम जाति कलबी निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामामालानी
12. कोंकू पुत्र करनाराम पत्नी छोगाजी कलबी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानीं
13. गेना पुत्र धुड़ा जाति कलबी
14. गोबा पुत्र करना जाति कलबी
15. गोवाराम पुत्र अनाराम जाति कलबी
16. छगन पुत्र माहिंगा जाति मेगवालल
17. छगना पुत्र हुकमा जाति मेगवाल
18. छोगाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल
19. जगदीश पुत्र लच्छाराम जाति कलबी
20. जुठाराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
21. जेठाराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
22. तेजाराम पुत्र नाथाराम जाति कलबी
23. तेजाराम पुत्र अणदाराम जाति कलबी
24. ताराराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
25. दलाराम पुत्र नरींगाराम जाति मेगवाल
26. दीपाराम पुत्र प्रागा जाति कलबी
27. धुंखाराम पुत्र मांहींगाराम जाति मेगवाल
28. नगाराम पुत्र नरींगाराम जाति कलबी
29. नाथाराम पुत्र अनाराम जाति कलबी
30. नारण पुत्र लिछमणा जाति मेगवाल
31. नारणराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
32. नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
33. पदमाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल
34. परबता पुत्र वरजोंगाराम जाति मेगवाल
35. प्रभु पुत्र उका जाति कलबी
36. पेलाद पुत्र नरींगा जाति मेगवाल
37. पाता पुत्र अजा जाति कलबी
38. पीरा पुत्र अजा जाति कलबी
39. बगाराम पुत्र पाताराम जाति मेगवाल
40. बलवन्ता पुत्र लिछमणा जाति मेगवाल
41. बाबु पुत्र वरजोंगा जाति मेगवाल
    निवासीयान भोलागर नगर, लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।
42. बाबुराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी धोबली तालबानियो की ढाणी
43. भेराराम पुत्र शंकराराम जाति मेगवाल
44. भंवरीदेवी पत्नी लच्छाराम जाति कलबी
45. मनुदेवी पत्नी पाताराम जाति मेगवाल
46. मूली पत्नी उका जाति कलबी
47. मसरा पुत्र पातराम जाति कलबी
48. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
49. मेहराम पुत्र नरींगा जाति मेगवाल
50. माकु पत्नी नरींगा जाति मेगवाल
51. मानाराम पुत्र करमीराम जाति कलबी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

52. मालमसिंह पुत्र भीमसिंह जात राजपुत
53. मोडुराम पुत्र शंकरा जाति मेगवा
54. मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
55. लाधा पुत्र हुकमा जाति मेगवाल
56. विमला पुत्री लच्छाराम जाति कलबी
    नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 44 भंवरीदेवी
57. विशनाराम दत्तक पुत्र अणदा जाति मेगवाल
58. सुन्दर पत्नी शंकरा जाति मेगवाल
59. सागरकंवर पत्नी भीमसिंह जाति राजपुत
60. सांवलाराम पुत्र करनाराम जाति कलबी
61. सांवलाराम पुत्र करमीमराम जाति कलबी
62. सांवलाराम पुत्र वरजोंगा जाति मेगवाल
63. सांवलाराम पुत्र रावताराम जाति कलबी
64. हबताराम पुत्र अनाराम के कायम मुकाम
    64/1 दानाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/2 नरींगा पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/3 गगाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/4 आदाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी
    64/5 दलाराम पुत्र हबतारात जाति कलबी
65. हरीसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत
66. केसाराम पुत्र खेताराम जाति कलबी
    निवासी भोलागर नगर लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

67. तहसीलदार गुड़ामालानी
68. उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 13, 21, 23, 26, 28, 35, 51, 60, 62, 66ः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी सं. 6 ता 11, 15 ता 20, 24, 25, 27, 29 ता 34, 37 ता 41, 43 ता 49, 52 ता 59, 61, 63 ता 65—श्री रामजीवन विश्नोई
शेष प्रतिवादीगण—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत् इस्तक्कररहक मंजूर किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मौजा भोलागर नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित मुतनाजा आराजी में वादीगण के 1/5

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीगण के उक्त अधिकारों की घोषणा के पश्चात वादीगण का हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का हिस्सा 1/40 के अनुरूप मुतनाजा आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा मुतनाजा आराजी में वादीगण के उक्तानुसार घोषित हिस्से के पश्चात पुनर्निधारित अपने हिस्से से अधिक आराजी का किया गया बेचान अपने पुनर्निधारित हिस्से की हद से अधिक आराजी का बेचान आरंभ से ही शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:02 IST
Reason: SelfAttested